न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)

1– आपराधिक विविध सं0 : 153/2026
सीआईएस नम्बर : 375/2026

सोनू पंकज पुत्र गिरिजाशंकर उम्र 22 वर्ष निवासी ईदगाह के पास, मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां।

–प्रार्थी/अभियुक्त–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां –अप्रार्थी/विपक्षी–

2– आपराधिक विविध सं0 : 155/2026
सीआईएस नम्बर : 376/2026

मोहम्मद दानिश पुत्र अब्दुल वहीद उम्र 27 वर्ष निवासी रंगबाडी बालाजी कॉलोनी, थाना मांगरोल जिला बारां।

–प्रार्थी/अभियुक्त–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां –अप्रार्थी/विपक्षी–

3– आपराधिक विविध सं0 : 156/2026
सीआईएस नम्बर : 378/2026

अंकित सुमन पुत्र दुलीचंद उम्र 23 वर्ष निवासी बिजली विभाग के पास मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां।

–प्रार्थी/अभियुक्त–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां –अप्रार्थी/विपक्षी–

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0
एफ0आई0आर0 नं0 200/2026, पुलिस थाना अंता।
जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

उपस्थित :–

1– श्री कमलदीप सिंह, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू पंकज** की ओर से।
2– श्री मनोज कुमार जैन, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद दानिश** की ओर से।
3– श्री कृष्णकांत शर्मा, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित सुमन** की ओर से।
4– विशिष्ठ लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

—:: <u>आदेश</u> ::— दिनांक :— 03.06.2026

1— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सोनू पंकज, मोहम्मद दानिश व अंकित सुमन** की ओर से धारा **483 बी0एन0एस0एस0** के प्रावधान के अंतर्गत तीन पृथक पृथक जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अंता की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2026 के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0—200/2026 थाना अंता से संबंधित होने के कारण उनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। जमानत प्रार्थनापत्र की नकलें विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं बहस सुनी गई।

2— दौराने बहस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई बरामदगी नहीं हुयी है। पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को अभियान के अंतर्गत झूंठा फंसाते हुए गिरफतार किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा भी वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थीगण सोनू एवं मोहम्मद दानिश का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त अंकित सुमन का आपराधिक रिकॉर्ड होने से ही उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तीनों प्रार्थीगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3— जबकि विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए गंभीर अपराध होने के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मोहम्मद दानिश व सोनू का पूर्व का कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं होना जाहिर किया जबकि प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित सुमन** का निम्न आपराधिक रिकोर्ड होना जाहिर किया है।

क0 सं0	प्रकरण संख्या व थाना	जुर्म धारा	सी.एस.नं.	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	226/2024 थाना मांगरोल	8/20, 8/25 एनडीपीएस एक्ट	93/22.05.2025	पैन्डिंग कोर्ट
2	207/2025 थाना सदर बारां	115(2), 126(2), 109(1), 324 (2), 118(1), 3(5) बीएनएस	240/31.12.2025	पैन्डिंग कोर्ट

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पुलिस थाना मांगरोल की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया

गया। अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 29.05.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना अंता श्री भूपेश शर्मा द्वारा मय जाप्ता गश्त किये जाने के दौरान काचरी से रातडिया माईनर के पास दो मोटरसाईकिलों पर आते हुए तीनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं एक अन्य व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर उनकी तलाशी लिये जाने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 2 किलोग्राम 133 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किये जाने के आधार पर यह प्रकरण अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पंजीबद्ध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त अपराध हेतु गिरफतार किया गया है। तभी से प्रार्थीगण अभिरक्षा में बताये गये हैं। उक्त प्रकार से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामद होना बताये गये अवैध मादक पदार्थ गांजा की कुल मात्रा उसकी लघु सीमा से कुछ ही अधिक है। प्रकरण के अनुसंधान में प्रार्थीगण की आवश्यकता नहीं बतायी गयी है। प्रार्थीगण सोनू पंकज व मोहम्मद दानिश के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकित सुमन के विरूद्ध पूर्व का जो आपराधिक रिकॉर्ड उक्तानुसार बताया गया है, उसके अनुसार उसके विरूद्ध दो अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज/लंबित होना बताया है। उक्त दोनों प्रकरणों में से एक प्रकरण अपराध धारा 8/20 एन.डी. पी.एस. एक्ट से संबंधित होना भी दर्शित हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त अंकित सुमन की पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थ के अवैध व्यापार से संबंधित मामले में संलिप्तता बतायी गयी है, जिसमें उसे पूर्व में जमानत पर छोडे जाने के उपरांत उसे पुनः पुलिस द्वारा इसी प्रकृति के आरोप हेतु गिरफतार किया गया है जो प्रार्थी/अभियुक्त अंकित सुमन के न्यायालय द्वारा उसे पूर्व में दी गई जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया जाना दर्शित होता है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखे जाने के उपरांत यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त अंकित सुमन का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाता है। जबकि यह न्यायालय अन्य प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सोनू पंकज व मोहम्मद दानिश की ओर से प्रस्तुत पृथक पृथक जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

5— परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित सुमन** की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है। जबकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सोनू पंकज व मोहम्मद दानिश** की ओर से प्रस्तुत किये गये पृथक पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483

बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय की संतुष्टि अनुसार 25–25 हजार रूपये की दो जमानतें तथा 50 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थीगण को नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

6– आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.03 14:07:29 IST